संख्या–2275/नौ–5–2015–130सा/2014

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0ज़ल निगम
लखनऊ।

3– निदेशक
सी.एण्ड डी.एस.,लखनऊ।

4–समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

5–समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांक 25 अप्रैल, 2015

विषयः– "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना का कियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में जल–संसाधन के आत्याधिक दोहन के परिणामस्वरूप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनेक स्थानों पर भूगर्भ–जल की उपलब्धता में कमी एवं भूजल स्तर में आयी गिरावट के कारण पेयजल संकट उत्पन्न होता जा रहा है। सम्भावित पेयजल संकट को भूजल सरंक्षण एवं वर्षाजल संचयन से रोका जा सकता है। अतः भूजल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किये जाने हेतु "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना के अन्तर्गत भूजल संरक्षण के अभियान के सदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना हैः–

1 प्रत्येक जनपद में भूजल–संरक्षण एवं वर्षा–जल संचयन अतिदोहन/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल नगर निगम/नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों को चिहिन्त करते हुये वहॉ पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

2 शहरों कस्बों में नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों मे वर्षा जल संचयन के लिए उनकी सूची एवं वर्षा जल संचयन हेतु चिहिन्त कार्ययोजना बनाकर जनपद स्तर पर गठित "जल बचाओ समिति" को उपलब्ध करायी जाय।

3 शहरी समितियों प्राकृतिक जल श्रोतों यथा तालाबों–पोखरों का चिन्हीकरण कर उनके प्रत्येक कोने पर लाल निशान लगाये जायें, जिससे उनके क्षेत्रफल की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4 शहरों/कस्बों में उलपब्ध तालाबों–पोखरों का विकास इस प्रकार किया जाय, जिससे वहॉ भारी मात्रा में जल संचयन हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि ऐसे तालाबों/पोखरों में दूषित जल किसी भी प्रकार से न जाने पाये।

5 तालाबों व पोखरों आदि के किनारों पर उचित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण कराया जाय।

6 शहरी क्षेत्रों में शासकीय व निजी भवनों में रूफटाप रेन वाटर हारवेस्टिंग प्रणाली की स्थापना के प्रावधानों को कडाई से लागू किया जाय।

7 शहरों/कस्बों में जल संरक्षण/संचयन हेतु वृहद स्तर पर जल बचाओ अभियान योजना की सभी निकायों में जन जागरूकता कार्यक्रम एवं व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

8 शहरों/कस्बों में पेयजल/जल–निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय।

9 वर्षा जल संचयन के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर गोष्ठी, सेमीनार, वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता आदि का आयोजन कर इसे प्रोत्साहित किया जाय।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राकृतिक जल श्रोतों एवं वर्षा जल के प्रभावी संचयन तथा पेयजल संकट से निराकरण के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान" योजना को सफल बनाने हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्याः–2275/नौ–5–2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2 प्रमुख स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3 स्टाफ आफिर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4 लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–1/ग्राम्य विकास अनुभाग–5।
5 अधिशाषी निदेशक, पेयजल एंव स्वच्छता मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
6 गार्डबुक।
7. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।